

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

क्रमांक प. 3(5) रा.मा.आ./2017/संस्था/पार्ट/

जयपुर, दिनांक:

: सूचना :

गृह (मानवाधिकार) विभाग से प्राप्त रवीकृति क्रमांक प. 4(1)एचएचआर/ 2025 दिनांक 04.03.2025 के अनुसरण में आयोग कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के 5 रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17(10)कार्मिक/क-2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार देय समेकित पारिश्रमिक पर सेवानिवृत्त कार्मिक (जिनकी आयु 64 वर्ष से कम हो) स्थाई नियुक्ति होने अथवा आगामी आदेश तक पूर्णतया अस्थायी रूप से संविदा पर लिये जाने हैं।

अतः उक्त पदों पर कार्य हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक (जिनके विरुद्ध सेवा काल के दौरान कोई आपराधिक/अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं रही हो) 23.05.2025 सांय 4.00 बजे तक (कार्यालय दिवसों में) अपना प्रार्थना-पत्र (बायोडाटा, सेवानिवृत्ति आदेश, पी.पी.ओ., एल.पी.सी., जन्म दिनांक का प्रमाण-पत्र इत्यादि की स्वप्रमाणित प्रतियाँ एवं मोबाईल नम्बर सहित) उप सचिव को व्यक्तिशः उपस्थित होकर/ डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्न:- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र

क्रमांक एफ 17(10)कार्मिक/क-2/94 दिनांक 28.03.2023

Sd-

सचिव

राज. राज्य मानव अधिकार आयोग,
जयपुर

क्रमांक प. 3(5) रा.मा.आ./2017/संस्था/पार्ट/10440

जयपुर, दिनांक:

06/5/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आपके कार्यालय से सेवानिवृत्त कार्मिकों को उक्त सूचना प्रेषित कराने की व्यवस्था करावें।
2. नोटिस बोर्ड आयोग कार्यालय।

Sd-

राज. राज्य मानव अधिकार आयोग,
जयपुर

कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला

क्रमांक:- स्था./2025/1568

दिनांक:- 15/05/2025

राजस्थान उच्च मानव अधिकार आयोग, जयपुर की सूचना क्रमांक प.3(5)रा.मा.आ./2017/संस्था/पार्ट/ जयपुर दिनांक 06.05.2025 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

✓ सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को न्यायालय हाजा की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

2. संबंधित कर्मचारी।

3. रक्षित पत्रावली।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जोधपुर जिला
15/05/2025